

19-6-2020

पत्रकारान् बाधकता उपलक्षण।

आज साहब ~~राज्य सरकार के सुरक्ष्य संवर्धन के लिए~~ ~~कोरोना संक्रमण के सुरक्ष्य संवर्धन के लिए~~ ~~कोरोना संक्रमण के सुरक्ष्य संवर्धन के लिए~~
अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक
24-7-2020 को पेठा हो।



दि. 24-7-2020

अह पत्रावली कोरोनावायरस कोविड-19 के लाकडाउन के कारण राजस्व मण्डल आजमेर के आदेशानुसार आज पेठा हुई। वकील उमय पद्वकर उपस्थित। वकील प्रतिवादी गण जवाब दावा पेठा करने हेतु समय चाहते हैं। न्यायाधीन में पूर्व में पर्याप्त अवसर देने से अह आंतिम अवसर जवाब हेतु दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 25-8-2020 को पेठा थी।

पुनः प्रस्तुत करने का Right Reserve रखते हुए वाद को withdraw करता हूँ।
Rishi Mathur
25/8/20

दिनांक 25/8/2020

पत्रावली पेठा हुई है। वकील उमय पत्रकारान् उपलक्षण। वारी अपिवन्ता ने विचारार्थीन वाद नो आगे नही चलाने तन्ना श्वाशिय नराने हेतु Right Reserve रखते हुए वाद नो withdraw किया है। अतः विचारार्थीन अह वाद में पारा 183 RT Act नो बिरगह प्रतिवादी गण न वारी गण द्वारा विद्दी नरने से आगे चलने योग्य नही होने तन्ना श्वाशिय योग्य होने से वारी गण नो वाद रिक्त प्रस्तुत नरने नो Right Reserve रखते हुए श्वाशिय किया जाता है। निर्णय तरे ईजलास मुनामा। पत्रावली डील न शुमार संनद रक्वर से नम से।

सहायक कलेक्टर
फिरोही (राज०)

